CERT-In को RTI अधिनियम के दायरे से छूट

प्रलिम्सि के लयि:

Right to Information Act 2005, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Cyber Security सूचना का अधकिार अधनियिम, 2005, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतकि्रयिा टीम (CERT-In), साइबर सुरक्षा

मेन्स के लयि:

सूचना का अधकिार (RTI) अधनियिम, पारदर्शति और दायत्वि, साइबर सुरक्षा

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने **कार्मकि और प्रशकि्षण वभिाग (DoPT)** के माध्यम से हाल ही में एक अधसिूचना जारी कर **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतकि्रयिा टीम (CERT-In)** को **सूचना का अधकिार अधनियिम, 2005** के दायरे से छूट दे दी है।

- CERT-In, अब अपनी **गतविधियिों और कामकाज के बारे में जानकारी तक सार्वजनकि पहुँच** को सीमति करते हुए RTI अधनियिम, 2005 के दायरे से बाहर कार्य करेगा।

CERT-In को कसि प्रकार छूट दी गई?

- केंद्र ने CERT-In को **पारदर्शति कानून के दायरे से छूट देने के लयि RTI अधनियिम की धारा 24(2)** के तहत दी गई अपनी शक्तयिों का उपयोग कयिा है।
  - RTI अधनियिम, 2005 की धारा 24(2) केंद्र सरकार को सरकार द्वारा स्थापति **खुफयिा या सुरक्षा संगठनों को जोड़कर या हटाकर अनुसूची में बदलाव करने की अनुमत** देती है।
    - हालाँकि यह उपधारा भ्रष्टाचार और मानवाधकिार उल्लंघन **के आरोपों** से संबंधति जानकारयिों पर लागू नहीं होती है, न ही उन मामलों पर जहाँ ऐसे आरोप लगाए गए हैं।
  - इसके अलावा, मानवाधकिार उल्लंघन के आरोपों से संबंधति जानकारी **केंद्रीय सूचना आयोग** की मंज़ूरी के बाद ही प्रदान की जा सकती है।
- केंद्र, आधकिारकि राजपत्र में एक अधसिूचना के माध्यम से दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकता है। हालाँकि ऐसी प्रत्येक अधसिूचना **संसद के प्रत्येक सदन** के समक्ष रखी जाएगी।
  - RTI अधनियिम की धारा 24 की उपधारा 4 के तहत राज्य सरकार को भी ऐसी ही शक्तयिाँ दी गई हैं।
- उन शक्तयिों का उपयोग करते हुए केंद्र ने 26 अन्य खुफयिा और सुरक्षा संगठनों के साथ CERT-In को RTI अधनियिम की दूसरी अनुसूची में शामलि कयिा है, जनि्हें पूर्व में ही अधनियिम द्वारा छूट दे दी गई है।
  - सूची में प्रमुख खुफयिा एवं सुरक्षा संगठन जैसे अन्वेषण ब्यूरो, राजस्व खुफयिा नदिशालय, **प्रवर्तन नदिशालय,** नारकोटकि्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य शामलि हैं।

CERT-In क्या है?

- **परचिय:**
  - CERT-In एक नोडल एजेंसी है जसिका कार्य हैकगि **और** फशिगि जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से नपिटना है। यह **इलेक्ट्रॉनकिी और सूचना प्रौद्योगकिी मंत्रालय** के तहत संचालति होता है।
  - CERT-In **जनवरी 2004 से परचालन में है।**
- **CERT-In के कार्य:**
  - सूचना प्रौद्योगकिी संशोधन अधनियिम, 2008 के अनुसार, CERT-In को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नमि्नलखिति कार्य करने के लयि

राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है:

- साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार।
- **साइबर सुरक्षा** घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट।
- साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने हेतु आपातकालीन उपाय।
- साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय।
- सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशानिर्देश, सलाह, भेद्यता नोट तथा श्वेतपत्र जारी करना।
  - साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कार्य जो निर्धारित किये जा सकते हैं।

- **भारत के लिये महत्त्व:**
  - CERT-In भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह **देश की महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना और डिजिटल संपत्तियों** को साइबर हमलों से **बचाने में** सहायता करता है।
  - यह देश के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे सरकार, रक्षा, बैंकिंग, दूरसंचार आदि की **साइबर लचीलापन** और तत्परता को बढ़ाने में भी सहायता करता है।
  - यह एक सुरक्षित साइबर वातावरण को बढ़ावा देकर देश की **राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास** में भी योगदान देता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 क्या है?

- **परिचय:**
  - वर्ष 2005 में अधिनियमित, RTI अधिनियम एक विधायी ढाँचा है जो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुँच प्रदान करता है।
  - इसकी नींव संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
    - सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को RTI अधिनियम में बदल दिया गया।
  - **संवैधानिक समर्थन:**
  - अनुच्छेद 19(1)(a) से व्युत्पन्न, RTI अधिनियम को एक मौलिक अधिकार माना जाता है, जैसा कि **राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले** में दर्शाया गया है।
- **समय अवधि और छूट:**
  - सामान्य तौर पर, **किसी आवेदक को जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 30 दिनों या 48 घंटों के भीतर प्रदान** की जानी चाहिये।
    - धारा 8(1) में छूट का प्रावधान दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक राज्य मामले, विदेशी संबंध और अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु शामिल है।
- **कार्यान्वयन:**
  - **जन सूचना अधिकारी (PIO)**, RTI अधिनियम के कार्यान्वयन का एक प्रमुख घटक है।
    - PIO किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत एक नामित अधिकारी है जो जानकारी मांगने वाले नागरिकों तथा उस जानकारी को एकत्रित करने वाले सरकारी संगठन के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है।
- **अपीलीय प्राधिकरण:**
  - PIO की प्रतिक्रिया से तुष्ट न होने पर, नागरिक उसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर **केंद्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग** में आगे अपील की जा सकती है।
- **RTI अधिनियम में हालिया संशोधन:**
  - **वर्ष 2023 के संशोधन:**
    - हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) द्वारा RTI अधिनियम की धारा 8 (1)(j) को संशोधित किया गया है, जिससे सभी **व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट मिल गई** है तथा पहले से निहित अपवादों को हटा दिया गया है जो इस तरह की जानकारी जारी करने की अनुमति देते हैं।
  - **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019:**
    - **मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) तथा सूचना आयुक्तों (IC)** के कार्यकाल एवं शर्तों में संशोधन।
      - IC की शर्तें केंद्र सरकार के निर्देश के अधीन बनाई गई हैं (वर्तमान में 3 वर्ष के लिये निर्धारित, न कि विगत निर्धारित 5-वर्षीय कार्यकाल के लिये)।
    - CIC और IC (केंद्र व राज्य) के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
    - CIC तथा IC की नियुक्ति के समय विगत सरकारी सेवा के लिये पेंशन अथवा सेवानिवृत्त**लाभों में कटौती के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया।**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न: "सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है।" विवेचना कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centre-exempts-cert-in-from-ambit-of-rti-act